भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 100/तमिलनाडु-वि.स/1/2016 **दिनांक: 7 अप्रैल, 2017**

नोटिस

यत:, आयोग ने दिनांक 09 मार्च, 2017 को 11- डा० आर.के.नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधान सभा के उप-निर्वाचन आयोजित कराने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है और उक्त तारीख से ही पूरे चेन्नई जिले में आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी) के उपबंध लागू हो गए हैं; और

यत:, दिनांक 16.03.2017 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 150 के अधीन उक्त निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों से अपेक्षा की गई थी कि वे रिक्ति को भरने के लिए एक सदस्य को निर्वाचित कर दें; और

यत:, आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके)(अम्मा), एआईएडीएमके के पार्टी का एक गुट जो कि उपर्युक्त नाम से जाना जाता है और इसके लिए "हैट" प्रतीक आरक्षित किया गया है, अभी भी अपनी वेबसाइट, फेसबुक और टिवटरमें मूल पार्टी के दलीय प्रतीक (दो पत्तियां) का प्रयोग कर रहा हैं; और

यत:, आयोग द्वारा "दो पत्तियां" प्रतीक को दिनांक 22.3.2017 के अपने आदेश द्वारा फ्रीज कर दिया गया है और एआईएडीएमके के दोनों विरोधी गुटों को आयोग के समक्ष मतभेद की विचारधीनताके दौरान, उक्त प्रतीक का प्रयोग करनेके लिए रोक लगाई गई है, आपके गुट द्वारा उक्त प्रतीक का आपकी वेबसाइट, फेसबुक, टिवटर और किसी अन्य सोशल/डिजीटल मीडिया पर चित्रण आयोग के उक्त आदेश का उल्लंघन हैं; और

यत:, पैरा 1(4) उपबंधित करता है कि सभी अभ्यर्थी और पार्टियां ईमानदारी से ऐसी सभी गतिविधियों से दूर रहेगें जो भ्रष्ट आचारण हैं और विद्यमान विधि के अधीन अपराध हैं; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (4), जो कि निम्न अनुसार है के अधीन गलत सूचना का प्रचार-प्रसार या मतदाताओं को भ्रमित करना भ्रष्ट आचारण है जो निम्न अनुसार है:

"किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है"; और

यत:, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), और धारा 171 छ के अधीन किसी प्रकार के मिथ्या विवरण का प्रकाशन निर्वाचकीय अपराध है ;और

यत:, दिनांक 3.4.2017 को पार्टी को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु एक नोटिस जारी किया गया था और पार्टी ने दिए गए समय के अंदर अर्थात 6.4.2017 को ही अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया; और

यत:, पार्टी ने दिनांक **5.4.2017** के अपने जवाब में कहा है कि पार्टी ने स्वयं ही विरोधी दल अर्थात एआईएडीएमके **(**पुराची थलाईवी अम्मा**)** के विरूद्ध आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की थी जो कि पार्टी प्रतीक इलेक्ट्रिक पोल के स्थान पर "दो लैम्पों" का दुरूपयोग करने के संबंध में थी, परंतु उक्त पार्टी ने शिकायतकर्ता के विरूद्ध काउंटर आक्षेप लगाया। पार्टी ने उन्हें दस्तावेज उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जिसके आधार पर आयोग को विस्तृत जवाब दिया गया। पार्टी ने यह उल्लेख भी किया है कि एआईएडीएम के की शासकीय वेबसाइट **21.3.2017** से चालू नहीं है और "एआईएडीएमके अम्मा" प्रतिनिधित्ववादी परिवर्तन के रूप में यूज़र नाम के लिए निर्दिष्ट किया गया है और उक्त "दो पत्तिया" प्रतीक का किसी भी शासकीय अथवा सोशल मीडिया में प्रयोग नहीं किया गया है। इसे समाप्त करते हुए पार्टी ने इस मामले में आगे की कार्रवाई रोकने की इच्छा व्यक्त की और;

यत:, आयोग ने पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और पार्टी के निवेदन में पाया कि एआईएडीएमके मूल ओर संयुक्त दल की वेबसाइट का दिनांक **21.3.2017** के पश्चात अद्यतन नहीं किया गया, इस मामले में अप्रासंगिक है और "दो पत्तियां" प्रतीक को इसकी शासकीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है जिसके साथ श्री टी.टी.वी.दिनाकरन सहित, जो कि **11**-डा०आर.के.नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी भी हैं, पार्टी नेताओं की फोटो भी है और यह सब श्री दिनाकरन द्वारा नाम निर्देशन दाखिल करने की तारीख से उसके बाद तक जारी रहा। इसी प्रकार की पोस्ट अन्य सोशल मीडिया पर अपलोड की गईं। आयोग ने बाद में पाया कि पार्टी की वेबसाइट अब निदेशों के अनुरूप है परंतु सोशल मीडिया पर अब भी विचारधीन प्रतीक के साथ मैसेज अपलोड किए जा रहे हैं।

अत:, अब आयोग ने जवाब से संतुष्ट न होने पर यह निष्कर्ष निकाला है कि पार्टी ने अपनी शासकीय वेबसाइट और अन्य मीडिया पर 'फ्रोज़न सिंबल' "दो पत्तियों" का प्रयोग करके आयोग के विधिक निदेशों का पालन नहीं किया है और इसलिए आयोग ने अपनी अत्याधिक अप्रसन्नता व्यक्त करने का निर्णय लिया है और चेतावनी दी है कि पार्टी को इस संबंध में विधिक निदेशों और अन्य अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इसे तत्काल अपनी सभी शासकीय वेबसाइट, सोशल मीडिया, से "दो पत्तियां" प्रतीक को हटा लेना चाहिए और दिनांक **08.04.2017** को अपराह्न **04:00** बजे तक इस संबंध में अनुपाल रिपोर्ट जमा करा देनी चाहिए।

आदेश से

(तपस कुमार)
वरिष्ठ प्रधान सचिव

श्री टी.टी.वी.दिनाकरन
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम
(अम्मा) ग्रुप
संख्या 5, चौथी गली, वेंकटेश्वरन नगर,
करपागम गार्डन, अद्यार,
चेन्नई-600020.
तमिलनाडु।